न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 21/2021

मानसिंह पुत्र कमल सिंह जाति लोधा निवासी पहाडी तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

अप्रार्थी

2. अर्जनदास पुत्र सोहनलाल जाति वैश्य निवासी पहाडी
3. जंगसिंह पुत्र कमलसिंह
4. भगवान सिंह पुत्र केसरी सिंह जाति लोधा
5. संजीव कुमार पुत्र नत्थीलाल जाति वैश्य निवासी पहाडी तहसील पहाडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थी

दिनांक :– 20/10/2023

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 3158 व हाल खसरा नम्बर 3884/0.41 हैक्टर बांके ग्राम पहाडी द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी एवं तरतीवी पक्षकार की सम्मलित आराजी है अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 प्रार्थना पत्र दायरी के समय न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके इसलिए उन्हे तरतीवी पक्षकार बनाया गया है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता के देरीना काश्त के आधार पर रेग्यूलाइज हुई थी और श्रीमान एस0डी0एम0 साहब डीग के आदेश दिनांक 12/05/1966 द्वारा आराजी की किस्म को बारानी में तब्दील कर दिया गया आराजी की किस्म को बारानी में तब्दील कर दिया गया लेकिन फिर भी राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से आराजी राजस्व रिकॉर्ड में गैर0 मुम0 रास्ता दर्ज होती चली आ रही है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है व मौके पर काबिज है और काश्त कर रहे है आराजी बाबत चले आ रहे किस्म गै0मु0 रास्ता को दुरूस्त किया जाकर किस्म बारानी दर्ज रिकॉर्ड किया जावें। अप्रार्थीगण संख्या 2,4,5 अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज है और राजस्व रिकॉर्ड में भी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण संख्या 2,4,5 की आराजी पूरी है। लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 खास भाई है जिनके पिता को आराजी रेग्यूलाईज होने के समय रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा था लेकिन बाद राजस्व रिकॉर्ड में आराजी को 0.41 हैक्टर दर्शाया गया है। जबकि कुल आराजी 0.44 हैक्टर थी जिसे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है । प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 1 ने दुरूस्ती करने से मना कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जावे एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई रिकॉर्ड दुरूस्ती को दुरूस्त फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब इस आशय का पेश किया कि नामान्तकरण संख्या 1068 में आराजी नम्बर 3158 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा की गैर खातेदारी नियमन से की गई है। जबकि किस्म भूमि रास्ता था उसको बारानी कर दिया गया जबकि किस्म परिवर्तन का कोई अधिकारीक आदेश नहीं है। जमाबन्दी के रोटेशन में समस्त जमाबन्दीयों जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है में किस्म भूमि रास्ता है। नजरी नक्शा में भी रोड से लगी भूमि है जिसकी किस्म रास्ता की रहना जरूरी है कभी भी सडक विस्तार होने पर किस्म रास्ता रहना जरूरी है। किस्म परिवर्तन का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार में निहित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

तहसीलदार पहाडी से पुनः मौका पर्चा रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार पहाडी ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 10/03/2023 के मुताबिक उनवानी मुकदमा मानसिंह बनाम सरकार में खसरा नम्बर 3884 रकबा 0.41 हैक्टर बांके ग्राम कस्बा पहाडी द्वितीय की मौका रिपोर्ट निम्न प्रकार है :-

1. मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 19 के खसरा नम्बर 3884 रकबा 0.41 हैक्टर किस्म गै0मु0 रास्ता में भगवान सिंह पुत्र केसरी सिंह 6/41 हिस्सा , जंग सिंह ,मानसिंह पिसरान कमल सिंह 58/82 हिस्सा जाति लोधा , संजीव कुमार पुत्र नत्थीलाल 3/41 हिस्सा , अर्जनदास पुत्र सोहनलाल 3/41 हिस्सा जाति वैश्या निवासी कस्बा पहाडी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।
2. मुताबिक मौका के आराजी खसरा नम्बर 3884/0.41 पर वर्तमान में भगवान सिंह पुत्र केसरी सिंह, 0.06 हैक्टर पर, जंग सिंह ,मानसिंह पिसरान कमलसिंह 0.29 हैक्टर पर जाति लोधा , संजीव कुमार पुत्र नत्थी लाल 0.03 हैक्टर , अर्जनदास पुत्र सोहनलाल 0.03 हैक्टर जाति वैश्य निवासी कस्बा पहाडी द्वारा फसल सरसों की बुबाई कर कब्जे काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

3. मुताबिक मौका के आराजी खसरा नम्बर 3884 रकबा 0.41 हैक्टर आराजी खसरा नम्बर 3887 रकबा 0.53 हैक्टर गै0मु0 सडक से लगता हुआ है ।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया । वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब /मौका रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया । प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा नम्बर 3884 रकबा 0.41 हैक्टर गै0मु0 रास्ता को दुरूस्त कर आवंटन एवं गत खसरा नम्बर 3158 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा एवं नामान्तकरण संख्या 1068 के आधार पर आराजी किस्म बारानी दर्ज करने का निवेदन किया है तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत जबाब में रकबा मुताबिक मौका एवं पैमाईश के 0.44 हैक्टर होने की बात नहीं कही गई है तथा आराजी की किस्म को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गै0मु0रास्ता दर्शाया गया है भू–प्रबन्ध विभाग ने चालू गत जमाबन्दी के आधार पर किस्म व रकबा दर्ज किया है। प्रार्थी द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग से पूर्व जमाबन्दी की नकल पेश नहीं की है जिसके अनुसार रकबा किस प्रकार कम हुआ है ज्ञात नहीं होता है प्रार्थी द्वारा सम्वत 2041 के बाद की कोई जमाबन्दी पेश नहीं की गई है तथा वर्तमान आवेदन में यह भी नहीं है कि उक्त खसरा नम्बर 3884 का रकबा बढाकर किस खसरा नम्बर में से कम किया जाना है उल्लेख नहीं है । ग्राम के कुल रकबे को कम अथवा ज्यादा नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट काबिले खारिजी है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).

Scanned with OKEN Scanner